प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रकिया सहिंता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. (जिला) ..**चौकी, भ्र.नि.ब्यूरो, सवाई माधोपुर**....(थाना) ...**प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि. ब्यूरो, जयपुर।**
(प्र.सू.रि.स.) ....01/2023 (दिनांक) 4/1/2023

2 I (अधिनियम).....**भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018** ....(धाराए)............**7,7ए**.................
II (अधिनियम).. (धाराए) ....
III (अधिनियम) .... (धाराए) ....
IV (अन्य अधिनियम एवं धाराए) 120 बी भा0द0स0..

3. (क) (दिन).........**मंगलवार**..... (दिनांक.........**03.01.2023**......(दिनांक तक).................................
(ख) (पहर) ....(बजे से)...................................... (बजे तक) ....
(ग) (थाने पर प्राप्त सूचना)....................(दिनांक) ....(समय) ....
(रोजनामचा संदर्भ) ....(प्रविष्टि सं.) ....60......(समय) ....5:30 P.M.

4. (सूचना कैसे प्राप्त हुई) (लिखित/मौखिक)..........................**लिखित रिपोर्ट** ....

5. घटना का ब्योरा (थाने से दिशा व दूरी).....**बजानिव दिशा उत्तर , दूरी करीब 80 कि.मी....**
(ख) (पता)................. **तहसील कार्यालय बामनवास, जिला सवाई माधोपुर**.............
(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो तब उस) ....
(थाने का नाम) ....**(जिला)** ....

6. (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाला)
(क) (नाम) ....**श्री मुनेश कुमार बैरवा** ....
(ख) (पिता/पति का नाम)..... रामविलाश उर्फ गिलाश बैरवा ....
(ग) (जन्म तिथि/वर्ष)...........**35 वर्ष**.........(घ) (राष्ट्रीयता)..................**भारतीय**..............................
(ड.) (पासपोर्ट सं.) ....
(जारी करने की तिथि) ....(जारी करने का स्थान) ....
(च) (व्यवसाय) ....
(छ) (पता).. बामनवास पटटी कला, जिला सवाई माधोपुर

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूर्ण विवरण)
(यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)

1. मुकेश कुमार मीना पुत्र मोहनचन्द मीना जाति मीना, उम्र 45 वर्ष, निवासी ताजपुर पुलिस थाना बामनवास, जिला सवाई माधोपुर हाल वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बामनवास, जिला सवाई माधोपुर
2. प्राईवेट व्यक्ति मेघराज उर्फ मेघी पुत्र रामलाल माली, उम्र 34 वर्ष, निवासी तहसील बामनवास के पास जिला सवाई माधोपुर

8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) ....
9. (चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें) ....
मांगी गई रिश्वती राशि 2,500/—रुपये।

10. चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य
11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं.) (यदि कोई हो तो)
12. (प्र.सू.रि. की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें)

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स0 माधोपुर, विषयः— रंगे हाथो पकडवाने बाबत। मोहदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रार्थी मुनेश कुमार बैरवा पुत्र रामविलाश उर्फ गिलाश बैरवा ग्रा0 पो0 तहसील बामनवास पटटी कलां का रहने वाला हूँ प्रार्थी की जमीन का हक त्याग का पंजीयन करवाने हेतु तहसील कार्यालय बामनवास में आवेदन किया था उक्त कार्य को करने हेतु मुकेश मीना रजिस्टरी बाबू द्वारा दलाल मेघराज उर्फ मेघी माली के माध्यम से 5000 हजार की मांग कर रहा है। अतः ऐसे भ्रष्ट कार्मिक को में रिश्वत नही देना चाहता और में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ उक्त कार्मिक व दलाल से मेरी कोई पुरानी रंजीश नही है और ना ही कोई लेन देन है। नियम अनुसार कार्यवाही करने की कृपा करे। एसडी मुनेश कुमार बैरवा प्रार्थी मुनेश कुमार बैरवा पुत्र रामविलाश उर्फ गिलाश बैरवा निवासी बामनवास पटटी कला जि0 सवाई माधोपुर मो0न0 9587929954

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 30.12.2022 समय–07:30 ए.एम पर श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन विवेक सोनी पुलिस निरीक्षक को कार्यालय कक्ष में बुलवाकर निर्देश दिये गये की श्री मनोज कुमार कानि0 133 के पास दिनांक 29.12.2022 को परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा निवासी बामनवास पटटी कला का कॉल आया एवं उसने बताया कि तहसील बामनवास में मैने जमीन का हक त्याग करवाने हेतु आवेदन किया था उक्त कार्य को करने हेतु मुकेश मीना रजिस्टरी बाबू द्वारा दलाल मेघराज उर्फ मेघी माली के माध्यम से 5000 रूपये की मांग कर रहा है। इस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही हेतु मन पुलिस निरीक्षक को निर्देशित किया गया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मनोज कुमार कानि को आवश्यक दिशा–निर्देश देकर कार्यालय आलमारी में से वाईस रिकार्डर देकर मय वाईस रिकार्डर के बामनवास रवाना किया गया। इसके पश्चात समय–02:00 पी.एम. पर श्री मनोज कुमार कानि. ने जरिये मोबाईल मन पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया की परिवादी की आरोपीगण से रिश्वत मांग के सम्बन्ध में बातचीत हो चुकी है व रिश्वत मांग का सत्यापन हो चुका है। मैं आपको विस्तृत हालात ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पहुंच कर बता दूंगा एवं मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से वार्ता कर आवश्यक समझाईस की गई। तत्पश्चात समय–05:30 पी.एम. –इस समय श्री मनोज कुमार कानि. उपस्थित कार्यालय आया एवं वाईस रिकार्डर व परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा द्वारा कानि मनोज कुमार को पेश किया गया प्रार्थना पत्र को मन पुलिस निरीक्षक ने मनोज कुमार कानि. से प्राप्त अपने पास सुरक्षित रखा तथा प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया तथा मनोज कुमार कानि. ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर बामनवास पहुंचा। जहां पर परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा मुझे उपस्थित मिला, जिसने एक लिखित प्रार्थना–पत्र मुझ कानि को ट्रेप कार्यवाही करवाने के सम्बन्ध में पेश किया, जिस पर मैने परिवादी को अपना परिचय देकर वाईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर आरोपी मुकेश कुमार मीना रजिस्ट्री बाबू व प्राईवेट व्यक्ति मेघराज उर्फ मेघी के पास रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु तहसील कार्यालय बामनवास रवाना किया, जिस पर कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास आया। जिससे मैने वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रख लिया और परिवादी ने बताया कि में आपके पास से रवाना होकर तहसील कार्यालय बामनवास पहुंचा, जहां पर आरोपी मुकेश कुमार मीना उपस्थित नही मिला, इस पर मैने प्राईवेट व्यक्ति मेघराज से जरिये मोबाईल वार्ता की जिसने बताया मेरी बाबूजी से तेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत हो चुकी है। तू तो उनको पांच हजार रूपये दे देना या नही ले तो मुझे पांच हजार रूपये फोन–पे कर देना। बाबूजी समय करीबन 11.15 बजे तक तहसील कार्यालय में आ जायेंगे। तू जाके उनसे मिल लेना। उसके कुछ समय पश्चात मैने परिवादी को पुनः वाईस रिकार्डर चालू कर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु आरोपी के पास तहसील कार्यालय बामनवास रवाना किया। इसके कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास आया जिससे मैने वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने बताया की मैं आपके पास से रवाना होकर तहसील कार्यालय बामनवास पहुंचा जहां पर मुझे मुकेश कुमार मीना बाबूजी उपस्थित मिले, जिनसे मैने मेरे कार्य के सम्बन्ध में बातचीत की तो उन्होने मेरे कहा की मेघी से बात हो गई तुम्हारी, मैने कहा की हो गई, यह घर का ही मामला है कुछ तो कम करो पांच हजार बताये आपने मुकेश जी। इस पर मुकेश जी ने केलकुलेटर में 4,500/–रूपये टाईप कर बताये की इतने से ही कर सकता हूँ तेरे लिये अब तू जा। इस पर मैं वहां से रवाना होकर आपके पास आ गया तथा परिवादी ने मेरे कहा की अभी मैं आरोपी मुकेश कुमार मीना बाबूजी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि में से दो हजार रूपये दे देता हूँ, जिससे की उसको मेरे उपर विश्वास हो जाये। इस पर मैने पुनः वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी को आरोपी मुकेश कुमारी मीना के पास रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु रवाना किया। थोडी देर बाद परिवादी मेरे पास आया, जिससे मैने वाईस रिकार्डर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा परिवादी ने बताया की मैं आपके पास से रवाना होकर तहसील कार्यालय बामनवास पहुंचा, जहां पर मुकेश बाबूजी को मैने रिश्वत के दो हजार रूपये दे दिये एवं शेष रिश्वती राशि सोमवार को देने के लिये कहा है। मैने मुकेश बाबू से हुई रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता को रिकार्डर में रिकार्ड कर ली। अब मुकेश बाबू या प्राईवेट व्यक्ति मेघराज उर्फ मेघी मुझसे

Vinu Soni

मेरे कार्य के सम्बन्ध रिश्वत के ढाई हजार रूपये सोमवार को लेंगे। बामनवास से सवाई माधोपुर काफी दूर पडता है एवं सुबह जल्दी कोई साधन भी नही मिलता, मै आपको रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर सोमवार को दिन में डूंगरी वाले बालाजी बामनवास पर मिल जाउंगा। इस पर वाईस रिकार्डर को लेपटॉप में अटेच करवाकर परिवादी व आरोपीगण के बीच हुई रिश्वत संबंधी वार्ता को सुना गया। वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्तानुसार आरोपीगण की रिश्वत मांग स्पष्ट है। अतः दिनांक 02.01.2023 वार सोमवार को स्वतंत्र गवाह तलब कर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जावेगा। वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। इसके बाद दिनांक 02.01.2023 को समय 09:50 ए.एम. पर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने पर प्राचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सवाईमाधोपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री रामकेश कानि. नं. 98 को ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने हेतु दो स्वतन्त्र गवाह पाबन्द करवाकर हमराह साथ लाने हेतु रवाना किया जिस पर समय 10:10 ए.एम. पर रामकेश कानि. नं. 98 कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सवाईमाधोपुर से अपने साथ दो स्वतंत्र गवाह हमराह लेकर आया जिनसे मन पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देकर नाम पता पूछा तो उन्होने अपना पता क्रमशः श्री रमेश कुमार मीना पुत्र श्री कमलेश कुमार मीना जाति मीना, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम देवलदा, पोस्ट कल्याणपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा कनिष्ठ अनुदेशक, राजकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान, सवाई माधोपुर एवं श्री भीम सिंह मीना पुत्र दयाचन्द मीना, जाति मीना, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम बडौली, तहसील वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर, हाल कनिष्ठ सहायक औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान, सवाई माधोपुर होना बताया। जिन्हे अब तक की गई ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराया गया एवं उक्त दोनो गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गयी तो उक्त गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी। इसके पश्चात समय 10:20 ए.एम. पर फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बे को श्री रामकेश कानि0 द्वारा मालखाने से निकलवाकर प्राईवेट वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाया गया एवं रामकेश कानि0 के दोनो हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। तत्पश्चात समय 10:30 ए.एम पर मन पुलिस निरीक्षक मय श्री जुगलाल कानि, मनोज कानि., रामकेश कानि., राजवीर सिंह कानि. व स्वतंत्र गवाह श्री भीम सिंह कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बाक्स लैपटॉप/प्रिन्टर, वाईस रिकार्डर आदि उपकरण के मय प्राईवेट वाहन के एवं श्री हम्मीर सिंह कानि., भोलाराम कानि., रमेश कुमार कानि. मय स्वतंत्र गवाह श्री रमेश कुमार कनिष्ठ अनुदेशक मय प्राईवेट वाहन के ब्यूरो कार्यालय से वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु बामनवास के लिये रवाना हुये। इसके पश्चात समय 11:45 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के डूंगरी वाले बालाजी बामनवास पहुंचा, जहां पर मंदिर परिसर के गेट के पास एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिसके बारे में कानि0 मनोज कुमार द्वारा मन पुलिस निरीक्षक को बताया की यही व्यक्ति परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना व हमराहीयान का परिचय परिवादी को दिया गया। परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा ने दरयाप्त पर बताया कि मेरी जमीन का हक त्याग करवाने हेतु तहसील कार्यालय बामनवास में आवेदन किया था उक्त कार्य को करने हेतु मुकेश मीना रजिस्टरी बाबू द्वारा दलाल मेघराज उर्फ मेघी माली के माध्यम से 5000 हजार की मांग कर रहा था। मैं ऐसे भ्रष्ट कार्मिक एवं प्राईवेट व्यक्ति को में रिश्वत नही देना चाहता था बल्कि उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ उक्त कार्मिक व प्राईवेट व्यक्ति से मेरी कोई पुरानी रंजीश नही है और ना ही कोई लेन देन है। इस पर मैने आपके कार्यालय के मनोज कुमार कानि से दिनांक 29.12.2022 को सम्पर्क किया तो मनोज कुमार ने बताया की मैं मेरे अधिकारीयों से बात करके आपसे सम्पर्क कर लूंगा तथा इसके पश्चात मनोज कुमार कानि. दिनांक 30.12.2022 को मेरे पास बामनवास आये जहां पर मैंने एक लिखित प्रार्थना–पत्र मनोज कुमार को ट्रेप कार्यवाही करवाने के सम्बन्ध में पेश किया, जिस पर मनोज कुमार ने अपना परिचय देकर वाईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने की विधि मुझे समझाकर आरोपी मुकेश कुमार मीना रजिस्ट्री बाबू व प्राईवेट व्यक्ति मेघराज उर्फ मेघी के पास रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु तहसील कार्यालय बामनवास रवाना किया, जिस पर मैं कानि0 मनोज कुमार के पास से से रवाना होकर तहसील कार्यालय बामनवास पहुंचा, जहां पर आरोपी मुकेश कुमार मीना उपस्थित नही मिला, इस पर मैने प्राईवेट व्यक्ति मेघराज से जरिये मोबाईल वार्ता की जिसने बताया मेरी बाबूजी से तेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत हो चुकी है। तू तो उनको पांच हजार रूपये दे देना या नही

ले तो मुझे पांच हजार रूपये फोन–पे कर देना। बाबूजी समय करीबन 11.15 बजे तक तहसील कार्यालय में आ जायेंगे। तू जाके उनसे मिल लेना। उसके बाद मैं तहसील कार्यालय बामनवास से रवाना होकर मनोज कुमार के पास पहुंचा जिन्होने मेरे वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रख लिया एवं उक्त बाते मैने मनोज कुमार को बतायी थी। उसके कुछ समय पश्चात मनोज कुमार ने मुझे पुनः वाईस रिकार्डर चालू कर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु आरोपी के पास तहसील कार्यालय बामनवास रवाना किया। मैं रवाना हाकर तहसील कार्यालय बामनवास पहुंचा जहां पर मुझे मुकेश कुमार मीना बाबूजी उपस्थित मिले, जिनसे मैने मेरे कार्य के सम्बन्ध में बातचीत की तो उन्होने मेरे कहा की मेघी से बात हो गई तुम्हारी, मैने कहा की हो गई, यह घर का ही मामला है कुछ तो कम करो पांच हजार बताये आपने मुकेश जी। इस पर मुकेश जी ने केलकुलेटर में चार हजार रूपये टाईप कर बताये की इतने से ही कर सकता हूँ तेरे लिये अब तू जा। इस पर मैं वहां से रवाना होकर मनोज कुमार कानि0 के पास आ गया तथा मैने मनोज कुमार को बताया कि अभी मैं आरोपी मुकेश कुमार मीना बाबूजी को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि में से दो हजार रूपये दे देता हूँ, जिससे की उसको मेरे उपर विश्वास हो जाये। इसके बाद मनोज कुमार ने पुनः वाईस रिकार्डर चालू कर मुझे देकर आरोपी मुकेश कुमारी मीना के पास रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु रवाना किया था। जिस पर मैं मनोज कुमार के पास से रवाना होकर तहसील कार्यालय बामनवास पहुंचा, जहां पर मुकेश बाबूजी को मैने रिश्वत के दो हजार रूपये दे दिये एवं शेष रिश्वती राशि आज देने के लिये कहा था एवं मैने मनोज कुमार कानि को बताया कि मैंने मुकेश बाबू से हुई रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता को रिकार्डर में रिकार्ड कर ली। अब मुकेश बाबू या प्राईवेट व्यक्ति मेघराज उर्फ मेघी मुझसे मेरे कार्य के सम्बन्ध रिश्वत के ढाई हजार रूपये सोमवार को लेंगे। बामनवास से सवाई माधोपुर काफी दूर पडता है एवं सुबह जल्दी कोई साधन भी नही मिलता, मै आपको रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर सोमवार को दिन में डूंगरी वाले बालाजी बामनवास पर मिल जाउंगा। इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा पेश लिखित प्रार्थना पत्र को स्वतन्त्र गवाहान को पढवाई गई। उक्त दोनो गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति दी एवं परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रमाण स्वरूप अपने–अपने हस्ताक्षर किये तथा वाईस रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुना गया तो प्रार्थना पत्र, मजिद दरयाप्त एवं रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से मामला रिश्वत लेन देन का होना पाया जाता है। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से आरोपीगण को दी जाने वाली शेष रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया की आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली शेष रिश्वत राशि ढाई हजार रूपये मेरे पास में रखे हुये है। वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं डब डी.वी.डी. पृथक से परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में तैयार की गई। तत्पश्चात समय 12:15 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी मुनेश कुमार बैरवा पुत्र रामविलाश उर्फ गिलाश बैरवा ग्रा0 पो0 तहसील बामनवास पटटी कलां ने मन पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 5,00–5,00 के पांच नोट अर्थात कुल 2,500/–रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपने पास से निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनके नम्बर बोल–बोल कर फर्द में अंकित करवाये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रम संख्या	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1.	एक नोट 5,00 रूपये का	0 SA 906832
2.	एक नोट 5,00 रूपये का	0 DA 040067
3.	एक नोट 500 रूपये का	5 DF 080630
4.	एक नोट 500 रूपये का	3 DN 821626
5.	एक नोट 500 रूपये का	7 VH 340565

उपरोक्त पेश शुदा नोटों को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर फर्द में अंकित नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री रामकेश कानि0 से प्राईवेट वाहन के डेस्क बोर्ड मे रखा फिनॉफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाया जाकर श्री रामकेश कानि0 से एक अखबार के उपर फिनॉफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 2,500/–रूपये के उपरोक्त नोटों पर भली–भांति फिनॉफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा की जामा

तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रमेश कुमार, से लिवाई गई तो उसके पास पहने हुये परिधान तथा मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं पाई गई। इसके बाद श्री रामकेश कानि0 से फिनॉफ्थलीन पाउडर लगे हुये 2,500/–रूपयो को परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा की पहनी हुई जाकिट की सामने की दांयी तरफ की जेब में रखवाये गये। परिवादी को समझाईश की गई कि आरोपीगण से हाथ नहीं मिलावे यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो आरोपी को हाथ जोडकर अभिवादन करे। अब पाऊडर युक्त रिश्वत राशि को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही उक्त राशि निकालकर उसे देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि को प्राप्त करके कहां रखते है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर पहने हुये टोपे को सिर से उतारकर या मोबाईल से सूचित करे। इसके बाद दोनों गवाहान को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का यथासम्भव प्रयास करें। इसके बाद गवाह श्री भीम सिंह से एक कांच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर स्वतंत्र गवाह श्री भीम सिंह से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थित हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री रामकेश कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थित हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनाफथलीन पाउडर के डिब्बे का ढक्कन बंद करवाया गया तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बे को ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद श्री रामकेश कानि0 से गिलास के धोवन को मंदिर परिसर के बाहर फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा श्री रामकेश कानि0 के दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन पुलिस निरीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी छोडकर उपरोक्त की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो दोनो गवाह के पास मोबाईल फोन तथा पुलिस निरीक्षक के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं पाई गई। इसके बाद परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाया जाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर सुपुर्द किया गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 12.30 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा को स्वंय की मोटरसाईकिल से वाईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर तहसील कार्यालय बामनवास के लिये रवाना कर परिवादी के पीछे–पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय मनोज कुमार कानि. राजवीर सिंह कानि., रमेश कुमार कानि. दोनों स्ततंत्र गवाहान मय प्राईवेट वाहन से एवं हमारे पीछे–पीछे श्री जुगलाल कानि, हम्मीर सिंह कानि, भोलाराम कानि. मय प्राईवेट के रवाना हुये एवं नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री रामकेश कानि. को मय फिनाथ्थलीन पाउडर डिब्बा के मुनासिफ हिदायत कर डूंगरी वाले बालाजी बामनवास में छोडा गया। तत्पश्चात समय 12.40 पी.एम पर मन पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी के तहसील कार्यालय बामनवास के पास पहुंचा। दोनो प्राईवेट वाहनो को साईड में खडा करवाकर ट्रेप पार्टी को अपनी–अपनी उपस्थिति का छिपाव करने की हिदायत कर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी के रिश्वत स्वीकृति के नियत ईशारे की प्रतिक्षा में मुकीम हुआ। तदोपरान्त समय 12.55 पी.एम पर परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा बिना रिश्वत स्वीकृति के ईशारा किये हुये मन पुलिस निरीक्षक व ट्रेप पार्टी सदस्यो के पास आया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों को अपने पास बुलवाया गया एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक को परिवादी मुनेश कुमार बैरवा ने बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर तहसील कार्यालय बामनवास के अन्दर गया तो वहां पर मुझे मुकेश कुमार बाबूजी मौजूद नही मिले इस पर मैने प्राईवेट व्यक्ति मेघराज उर्फ मेघी से मोबाईल पर बात की तो मेघराज ने बताया की आज तहसीलदार साहब के साथ मैं और मुकेश कुमार बाबूजी बाहर ईलाके में आ गये हम सांय तक बामनवास आयेंगे, बामनवास पहुंचने पर मैं तुझे कॉल करके बता दूंगा। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय परिवादी के रवाना होकर डूंगरी वाले बालाजी बामनवास पर पहुंचा। उक्त स्थान एकान्त में है आमजन की आवाजाही कम है, आरोपीगण के बामनवास पहुंचने में भी

समय अधिक लगने की संभावना है। इस पर समय 01.15 पी.एम पर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर जिसमें दिनांक 30.12.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना जाकर परिवादी से पूछ–पूछ कर श्री मनोज कुमार कानि0 से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की एक पेन ड्राईव सेन डिस्क कम्पनी तथा तीन डीवीडीयां क्रमश– मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "A" अंकित कर उक्त डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा कर पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। शील्डशुदा पेन ड्राईव व डीवीडीयों मार्क "A" को ट्रेप बाक्स में सुरक्षित रखवाई गई तथा आईओ प्रति डीवीडी को सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फाईल पर रखा गया। इसके पश्चात समय 05.30 पी.एम पर परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा ने मन पुलिस निरीक्षक को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया कि मैने मेरे स्तर से जानकारी की तो पता चला की आरोपीगण देर रात तक बामनवास आयेगें अतः आगे की कार्यवाही कल किया जाना उचित रहेगा। आप लोग कल सुबह 10–11 बजे बामनवास आ जाना मैं आपको यहीं डूंगरी वाले बालाजी पर मिल जाउंगा। इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा की पहनी हुई जाकिट की सामने की दांयी तरफ की जेब में रखी रिश्वती राशि को श्री रामकेश कानि. द्वारा निकलवायी जाकर सुरक्षित कानि. के पास रखवायी गयी एवं कानि0 रामकेश मय रिश्वती राशि के मय फिनोप्थलीन पाउडर के डिब्बे के मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के बामनवास से ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर के लिये रवाना होकर समय समय 07.00 पी.एम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के मय शील्डशुदा पेन ड्राईव व डीवीडीयों मार्क "A" तथा रामकेश कानि0 के पास सुरक्षित रखी रिश्वती राशि ढाई हजार रूपये के बामनवास से रवानाशुदा ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पहुंचा हूँ। शील्डशुदा पेन ड्राईव व डीवीडीयों मार्क "A" को प्रभारी मालखाना जुगलाल कानि0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवायी गयी तथा रामकेश कानि0 के पास सुरक्षित रखी रिश्वती राशि ढाई हजार रूपये को सुरक्षा की दृष्टि से मालखाने में रखवायी गयी एवं फिनोप्थलीन पाउडर के डिब्बे को रामकेश कानि से मालखाने में रखवाकर रामकेश कानि0 के दोनो हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। इसके पश्चात समय 07.15 पी.एम पर स्वतंत्र गवाह श्री भीमसिंह एवं श्री रमेश कुमार मीना को दिनांक 03.01.2023 को प्रातः 08.00 एम पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। जिस पर दिनांक 03.01.2023 समय 08.00 ए.एम पर पूर्व से पावन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री भीमसिंह एवं श्री रमेश कुमार मीना ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये, जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। इसके पश्चात समय 08.15 ए.एम पर श्री रामकेश कानि0 से दिनांक 02.01.2023 को सुरक्षा की दृष्टि से मालखाने में रखवायी गयी लिफाफे में रखी रिश्वति राशि 2500/– रूपये को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष निकलवाकर पूर्व में बनायी गयी फर्द पेशकशी से उक्त रिश्वति राशि का मिलान करवाया तो मुताबिक फर्द पेशकशी के होना पाये गये। उक्त राशि को पुनः लिफाफे में रखकर रामकेश कानि0 के पास मुनासिफ हिदायत कर सुरक्षित रखवायी गयी एवं रामकेश कानि0 व स्वतंत्र गवाहान के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। इसके पश्चात समय 08.30 ए.एम पर मन पुलिस निरीक्षक मय रामकेश कानि, राजवीर सिंह कानि., रमेश कुमार कानि0 व स्वतंत्र गवाह श्री भीम सिंह कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बाक्स लैपटॉप/प्रिन्टर, वाईस रिकार्डर आदि उपकरण के मय प्राईवेट वाहन के एवं श्री जुगलाल कानि, हम्मीर सिंह कानि., भोलाराम कानि., मय स्वतंत्र गवाह श्री रमेश कुमार कनिष्ठ अनुदेशक मय प्राईवेट वाहन के ब्यूरो कार्यालय से वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु बामनवास के लिये रवाना होकर समय समय 10.30 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के डूंगरी वाले बालाजी बामनवास पहुंचा, जहां पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा मंदिर परिसर के गेट के पास उपस्थित मिला। जहां पर श्री रामकेश कानि0 के पास रखी रिश्वती राशि 2500/–रूपये को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लिफाफे से निकलवाकर परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा की पहनी हुई जाकिट की सामने की दांयी तरफ की जेब में रखवाये गये। परिवादी को समझाईश की गई कि आरोपीगण से हाथ नहीं मिलावे यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो आरोपी को हाथ जोडकर अभिवादन करे। अब पाऊडर युक्त रिश्वत राशि को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही उक्त राशि निकालकर उसे देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि को प्राप्त करके कहां रखते है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर पहने हुये टोपे को सिर से उतारकर या मोबाईल से सूचित करे। इसके बाद दोनों गवाहान को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का यथासम्भव प्रयास करें। इसके पश्चात समय 10.45 ए.एम पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा को स्वंय की मोटरसाईकिल से वाईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर तहसील कार्यालय बामनवास के लिये रवाना कर परिवादी के पीछे–पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय राजवीर सिंह कानि., रमेश कुमार कानि., दोनों स्ततंत्र गवाहान मय प्राईवेट वाहन से एवं हमारे पीछे–पीछे श्री जुगलाल कानि, हम्मीर सिंह कानि, भोलाराम कानि. मय प्राईवेट वाहन के

Vineet Soni

रवाना हुये एवं नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री रामकेश कानि. को मुनासिफ हिदायत कर डूंगरी वाले बालाजी बामनवास में छोडा गया। इसके पश्चात समय 11.00 ए.एम पर मन पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी के तहसील कार्यालय बामनवास के पास पहुंचा। दोनो प्राईवेट वाहनो को साईड में खडा करवाकर ट्रेप पार्टी को अपनी–अपनी उपस्थिति का छिपाव करने की हिदायत कर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी के रिश्वत स्वीकृति के नियत ईशारे की प्रतिक्षा में मुकीम हुआ। इसके पश्चात समय 12.05 पी.एम पर परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा बिना रिश्वत स्वीकृति के ईशारा किये हुये मन पुलिस निरीक्षक व ट्रेप पार्टी सदस्यो के पास आया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों को अपने पास बुलवाया गया एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक को परिवादी मुनेश कुमार बैरवा ने बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर तहसील कार्यालय बामनवास के अन्दर गया तो वहां पर मुझे मुकेश कुमार बाबूजी मौजूद नही मिले इस पर मैने तहसील कार्यालय में मालूमात की तो पता चला की कहीं बाहर गये हुये है। करीब दो घंटे तहसील कार्यालय में आयेंगे। इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी को पुनः वाईस रिकार्डर चालू–बन्द करने की विधि समझाकर हिदायत दी गई की जब भी आरोपी तहसील कार्यालय में आये, तब वाईस रिकार्डर चालू कर आरोपी के पास जावे एवं रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी को करे एवं मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के अपनी–अपनी उपस्थिति का छिपाव करने की हिदायत कर परिवादी के रिश्वत स्वीकृति के नियत ईशारे की प्रतिक्षा में मुकीम हुआ। तत्पश्चात समय 03:05 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक विवेक सोनी को परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा ने रिश्वत स्वीकृति के बारे में बताया, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व हमराहीयान को अवगत कराते हुये परिवादी मुनेश कुमार बैरवा के पास पहुंचा तथा परिवादी मुनेश कुमार बैरवा से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा परिवादी मुनेश कुमार ने पूछने पर बताया कि मैने मुकेश कुमार बाबूजी को तहसील कार्यालय बामनवास के एक कक्ष में जहां मुकेश जी बैठे थे, को उनके मांगने पर रिश्वती राशि 2,500/–रूपये उनको उनके कहे अनुसार दे दिये एवं मुकेश कुमार बाबूजी ने मेरे हक त्याग पंजीयन से संबंधित कार्य पूरा करवाकर तहसीलदार जी के हस्ताक्षर करवाकर असल दस्तावेज मुझे दे दिये है। जो मेरे पास सुरक्षित रखे है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी व हमराहीयान को साथ लेकर तहसील कार्यालय बामनवास के अन्दर पहुंचा, जहां पर एक कक्ष में बैठे हुये व्यक्ति की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया की यही मुकेश कुमार मीना बाबूजी है जिसने मेरे से अभी–अभी रिश्वत के 2,500/–रूपये जमीन का हक त्याग के पंजीयन की एवज में मांग कर अपने दांये हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई जैकिट की अन्दर की बांयी जेब में रख लिये है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उक्त का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम मुकेश कुमार मीना पुत्र मोहनचन्द मीना जाति मीना, उम्र 45 वर्ष, निवासी ताजपुर पुलिस थाना बामनवास, जिला सवाई माधोपुर हाल वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बामनवास, जिला सवाई माधोपुर का होना बताया। इसी दौरान परिवादी मुनेश कुमार ने बताया की तहसीलदार साहब की गाडी में ड्राईवर सीट पर प्राईवेट व्यक्ति मेघराज उर्फ मेघी बैठा हुआ है। इस पर हमराही जाप्ते की मदद से उक्त को तहसील कार्यालय के अन्दर बुलवाया गया व उसको व हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पता मेघराज उर्फ मेघी पुत्र रामलाल माली, उम्र 34 वर्ष, निवासी तहसील बामनवास के पास जिला सवाई माधोपुर का होना बताया तथा पूछने पर बताया की तहसीदार साहब के ड्राईवर हरिसिंह गुर्जर के एलर्जी होने के कारण तहसीलदार साहब ब्रजेश जी सिहरा ने मुझे दिनांक 01.01.2023 से गाडी चलाने के लिये अस्थाई रूप से रख रखा है। इसके पश्चात आरोपी प्राईवेट व्यक्ति मेघराज उर्फ मेघी से परिवादी से रिश्वत मांग करने के सम्बन्ध में पूछा गया तो मेघराज उर्फ मेघी ने बताया की तीन–चार दिन पहले मुनेश कुमार से फोन से बात तहसील बामनवास के कर्मचारी मुकेश कुमार मीना के कहने पर की थी। इस पर पास ही खडे परिवादी मुनेश कुमार बैरवा ने मेघराज उर्फ मेघी की बातों का खण्डन करते हुये कहा की मेघराज उर्फ मेघी ने मुकेश कुमार मीना बाबूजी के कहने पर मेरे काम के सम्बन्ध में रिश्वत की मांग की तथा रिश्वत के पैसे फोन–पे करने की बात कही थी। तत्पश्चात आरोपी मुकेश कुमार मीना को परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा से 2,500/–रूपये किस बात के लिये है बाबत पूछा तो आरोपी ने बताया कि मैने मुनेश कुमार से कोई राशि नहीं मांगी है इसने जबरदस्ती मुझे खर्चे पानी के रूपये दिये है। इस पर पूछने पर पास ही खडे परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा ने आरोपित मुकेश कुमार मीना की बात का खण्डन करते हुए बताया कि मैने मेरी जमीन का हक त्याग का पंजीयन करवाने हेतु तहसील कार्यालय बामनवास में आवेदन किया था उक्त कार्य को करने हेतु मुकेश कुमार मीना रजिस्टरी बाबू द्वारा दलाल मेघराज उर्फ मेघी माली के माध्यम से 5000 हजार की मांग कर रहा था। जिस पर दिनांक 30.12.2022 को रिश्वत मांग के सत्यापन के दौरान 2,000/–रू. उसी समय ले लिये तथा

Vinu Soni

2,500/–रू. की और मांग की और दिनांक 02.01.2023 को लेने पर सहमत हुआ था, दिनांक 02.01.2023 को मुकेश कुमार मीना बाबू व प्राईवेट व्यक्ति तहसील कार्यालय बामनवास में उपस्थित नही मिले तथा शेष रिश्वत राशि 2,500/–रू. आज मांग कर अपने दांये हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई जैकिट के अन्दर की बांयी साईड की जेब में रख लिये। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर दाहिना हाथ श्री रमेश कुमार कानि. व बायां हाथ श्री राजवीर सिंह कानि. ने कलाईयों के उपर से पकड लिये तथा ट्रेप बाक्स मंगवाया जाकर उसमें से तामचीन का कटोरा निकलवाकर उसको गवाह श्री भीम सिंह मीना से साफ पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर उक्त गवाह से तहसील कार्यालय बामनवास परिसर से एक प्लास्टिक के जग में पानी मंगवाया जाकर तामचीनी के कटोरा में डलवाया गया व ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवा कर उक्त स्वतंत्र गवाह से सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी का ढक्कन खुलवाकर उसमें से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर एक चम्मच से निकलवाकर तामचीनी का कटोरा में डलवा कर चम्मच से हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त घोल में आरोपी मुकेश कुमार मीना वरिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद गवाह श्री भीमसिंह मीना से तामचीनी के कटोरा को साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाया जाकर उक्त स्वतंत्र गवाह से पानी के प्लास्टिक के जग से साफ पानी डलवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी का ढक्कन खुलवाकर उसमें से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर एक चम्मच से निकलवाकर तामचीनी का कटोरा में डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त घोल में आरोपी मुकेश कुमार मीना वरिष्ठ सहायक के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गन्दमेला हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद आरोपी मुकेश कुमार मीना वरिष्ठ सहायक की जामा तलाशी गवाह श्री रमेश कुमार मीना से लिवाई गई तो आरोपी की पहनी हुई जाकिट के अन्दर की बांयी जेब में 500–500 रू. के नोटो की मुडी हुई गड्डी मिली जिसे उक्त गवाह से गिनवाया गया तो 500–500 रू. के 05 नोट कुल 2,500/–रू. होना बताया। उक्त नोटो को स्वतंत्र गवाह श्री रमेश कुमार मीना से नोटो नम्बर बुलवाये व स्वतंत्र गवाह श्री भीमसिंह मीना से फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों का मिलान करवाया गया तो वही नम्बरी नोट पाये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम संख्या	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1.	एक नोट 5,00 रूपये का	0 SA 906832
2.	एक नोट 5,00 रूपये का	0 DA 040067
3.	एक नोट 500 रूपये का	5 DF 080630
4.	एक नोट 500 रूपये का	3 DN 821626
5.	एक नोट 500 रूपये का	7 VH 340565

उपरोक्त 2500/–रूपये के नम्बरी नोटो को बतौर बजह सबूत एक सफेद कागज के साथ सिलवाकर सील मोहर कर कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। चूंकि मौके पर काफी भीड हो चुकी है ए.सी.बी. टीम के साथ कोई अप्रिय घटना न हो जाये। इस लिये सुरक्षा की दृष्टी से मन् पुलिस निरीक्षक विवेक सोनी ने आरोपी मुकेश कुमार मीना वरिष्ठ सहायक व प्राईवेट व्यक्ति मेघराज उर्फ मेघी को मय हमराहीयान के पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय बामनवास पहुॅचा। आरोपी मुकेश कुमार मीना वरिष्ठ सहायक को अपनी पहनी हुई जैकिट उतार कर पेश करने की कहा जिस पर उसने जैकिट उतार कर पेश की तथा कार्यालय परिसर से स्वतन्त्र गवाह श्री भीम सिंह से एक पानी का कैम्पर में से पानी की बोतल में कैम्पर से पानी भरवाया जाकर तामचीनी का कटोरा निकलवाकर उसको उक्त गवाह से साफ पानी से अच्छी तरह से साफ करवाया जाकर उक्त गवाह से बोतल से साफ पानी तामचीनी के कटोरा में डलवाया गया व ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवा कर उक्त स्वतंत्र गवाह से सोडियम कार्बोनेट पाउडर के डिब्बे मे से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर एक चम्मच से निकलवाकर तामचीनी का कटोरा में डलवा कर चम्मच से हिलवाया गया तो

Vinu Soni

पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त घोल में आरोपी मुकेश कुमार मीना वरिष्ठ सहायक की जैकिट की अन्दर की बांयी जैब को उलटवा कर स्वतंत्र गवाह श्री भीम सिंह से धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क जे–1 व जे–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। तत्पश्चात आरोपी मुकेश कुमार मीना की जैकिट जिसकी बांयी तरफ की अन्दर की जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई को सुखवाकर जैकिट की जैब पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर अंकित करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "जे" अंकित करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात परिवादी श्री मुनेश कुमार मीना से हक त्याग पत्र पंजीयन के असल दस्तावेज प्राप्त कर फोटो प्रति करवाकर नायब तहसीलदार श्री मिथलेश शर्मा से प्रमाणित करवाकर प्रमाणित प्रति पर प्रथम पेज व अंतिम पेज पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कुल पृष्ठ एक लगायत छः बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी ली गई। असल हक त्याग पत्र पंजीयन दस्तावेज को परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा को सुपुर्द किये गये। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी मुनेश कुमार बैरवा द्वारा तहसील कार्यालय बामनवास में हक त्याग पंजीयन के सम्बन्ध में किये गये आवेदन–पत्र के बारे में आरोपी मुकेश कुमार मीना वरिष्ठ सहायक से पूछा गया तो आरोपी ने बताया की अपने कक्ष की टेबल की दराज में रखा होना बताया, इस पर आरोपी को हमराह लेकर तहसील कार्यालय के कक्ष की टेबल की दराज में से आवेदन पत्र को निकालकर हमराह लेकर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय बामनवास उपस्थित आया। इसके पश्चात श्री मुनेश कुमार मीना द्वारा किये गये आवेदन–पत्र की फोटो प्रति करवाकर नायब तहसीलदार श्री मिथलेश शर्मा से प्रमाणित करवाकर प्रमाणित प्रति पर प्रथम पेज व अंतिम पेज पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कुल पृष्ठ एक लगायत 17 बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी ली गई। मूल आवेदन पत्र वापिस नायब तहसीलदार श्री मिथलेश कुमार शर्मा को लोटाये गये। मूल दस्तावेजो को जप्त करने से परिवादी का कार्य बाधित हो जावेगा। परिवादी का कार्य बाधित नहीं हो इस लिए उक्त प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त की गई। इसके बाद परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा को सुपुर्द शुदा विभागीय वाईस रिकार्डर जो पूर्व में प्राप्त किया गया था, जो मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित है को लेपटॉप में कनेक्ट करवा कर उक्त वार्ता को चालू कर ईयरफोन लगा कर सुना गया तो परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा एवं आरोपी मुकेश कुमार मीना, वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बामनवास, जिला सवाई माधोपुर के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। वाईस रिकार्डर को सुरक्षित रखा गया। वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट ब्यूरो कार्यालय चौकी सवाईमाधोपुर पहुंच पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा एवं आरोपीगण मुकेश कुमार मीना, मेघराज उर्फ मेघी से आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार की रंजिश अथवा पैसे आदि के लेन–देन शेष होने बाबत पूछा तो स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश या लेन देन होने से मना किया। फर्द पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 5.20 पी.एम पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी मुकेश कुमार मीना पुत्र मोहनचन्द मीना जाति मीना, उम्र 45 वर्ष, निवासी ताजपुरा पुलिस थाना बामनवास, जिला सवाई माधोपुर हाल वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बामनवास, जिला सवाई माधोपुर को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने पदनाम से अवगत कराकर तथा तमाम ट्रेप कार्यवाही से जुर्म धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा0द0स0 में लिप्त पाये जाने पर जुर्म से आगाह कर परिवादी एवं तथ्यों से परिचित गवाहान को धमकाने एवं टेम्परविद करने का अंदेशा होने पर इन्हे गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है। गिरफ्तारी से पूर्व आरोपी मुकेश कुमार की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रमेश कुमार से लिवायी गई तो उसके पहनी हुई पेन्ट की पीछे वाली जेब में 900 रूपये व एक विवो कम्पनी का मोबाईल मिला जो स्वतंत्र गवाह श्री रमेश कुमार के पास सुरक्षित रखे हुए है के बारे में आरोपी से पूछा तो बताया कि ये रूपये मेरे घर खर्च एवं गाडी के पेट्रोल आदि के लिये रखे है। आरोपी का जबाव सन्तोषप्रद होना पाया गया। आरोपी को हस्व कायदा उपरोक्त धारा में गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की स्वयं की इच्छा से स्वंय के बडे भाई बाबूलाल मीना को जरिये मोबाईल नम्बर 7976142240 पर दी गई। जामा

तलाशी में मिले मोबाईल एवं 900/– रू. को अभियुक्त के कहे अनुसार नायब तहसीलदार श्री मिथलेश शर्मा को सुपुर्द किये। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 5.30 पी.एम पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी मेघराज उर्फ मेघी पुत्र रामलाल माली, उम्र 34 वर्ष, निवासी तहसील बामनवास के पास जिला सवाई माधोपुर को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने पदनाम से अवगत कराकर तथा तमाम ट्रेप कार्यवाही से जुर्म धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा0द0स0 में लिप्त पाये जाने पर जुर्म से आगाह कर परिवादी एवं तथ्यों से परिचित गवाहान को धमकाने एवं टेम्परविद करने का अंदेशा होने पर इन्हे गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है। गिरफ्तारी से पूर्व आरोपी मेघराज उर्फ मेघी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रमेश कुमार से लिवायी गई तो उसके पहनी हुई पेन्ट की पीछे वाली जेब में 7010 रूपये व एक होनर कम्पनी का मोबाईल, आधार कार्ड, एक घडी मिले जो स्वतंत्र गवाह श्री रमेश कुमार के पास सुरक्षित रखे हुए है के बारे में आरोपी से पूछा तो बताया कि ये रूपये मेरी गाडी की किस्त के लिये रखे है। आरोपी का जबाव सन्तोषप्रद होना पाया गया। आरोपी को हस्व कायदा उपरोक्त धारा में गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की स्वयं की इच्छा से स्वंय के चाचा के लडके राजू को जरिये मोबाईल नम्बर 7665098099 पर दी गई। जामा तलाशी में मिले मोबाईल एवं 7010/– रू. एवं आधार कार्ड, एक घडी को अभियुक्त के कहे अनुसार मौके पर आये मिलने वाले अजय कुमार माली निवासी बामनवास को सुपुर्द किये। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 5.45 पी.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा की निशादेही से घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर तहसील कार्यालय बामनवास, जिला सवाई माधोपुर का नक्शा मौका व हालात मौका कशीद किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 06.30 पी.एम पर बाद ट्रेप कार्यवाही मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री रामकेश कानि. को डूंगरी वाले बालाजी से तलब कर उप अधीक्षक कार्यालय बामनवास बुलवाकर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय परिवादी मुनेश कुमार बैरवा मय गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण मय जप्त एवं बरामदशुदा माल बजह सबूत मय प्राईवेट वाहनों के बामनवास से ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर के लिए रवाना हुआ। इसके पश्चात समय 08.40 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय परिवादी मुनेश कुमार बैरवा मय गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण मय जप्त एवं बरामदशुदा माल बजह सबूत मय प्राईवेट वाहनों के ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पहुंचा हूं। जप्त/सील शुदा नम्बरी रिश्वत राशि 2,500/–रू., धोवन की शील्ड शीशीयां मार्क आर.एच.–1, आर.एच.–2, एल.एच.–1, एल.एच.–2 एवं जे–1, जे–2 व शील्ड पैकिट मार्क ''जे''को श्री जुगलाल कानि. कार्यवाहक मुख्य आरक्षक को दुरूस्त हालत में सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। इसके पश्चात समय 10.00 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा के समक्ष अभियुक्त मुकेश कुमार मीना, वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बामनवास, जिला सवाई माधोपुर द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी मुनेश कुमार बैरवा से जमीन का हक त्याग पत्र का पंजीयन करवाने की एवज आरोपी मुकेश कुमार मीना वरिष्ठ सहायक द्वारा दलाल मेघराज उर्फ मेघी माली के माध्यम से 5000 हजार की मांग की। दौराने रिश्वती मांग सत्यापन परिवादी से 2,000/–रू. रिश्वत प्राप्त करना और दिनांक 03.01.2023 को परिवादी से वक्त रिश्वत लेन–देन 2,500/–रूपये रिश्वत राशि लेने की ऑडियो रिकार्डिंग है। उक्त ऑडियो के आवाज के मिलान के लिए आरोपी मुकेश कुमार मीना वरिष्ठ सहायक की आवाज का नमूना प्राप्त करनी है, जिस पर आरोपी को आवाज का नमूना स्वतन्त्र गवाहान के सामने देने के लिए कहा गया तो आरोपी ने अपनी आवाज का नमूना देने से साफ इन्कार कर दिया। फर्द असहमति नमूना आवाज हस्ब कायदा मुर्तिब की जाकर हाजरीन को पढकर सुनाई सुन समझ सही मान अपने–अपने हस्ताक्षर अंकित किये। तत्पश्चात समय 10.15 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा के समक्ष अभियुक्त मेघराज उर्फ मेघी पुत्र रामलाल माली, उम्र 34 वर्ष, निवासी तहसील बामनवास के पास जिला सवाई माधोपुर ने परिवादी मुनेश कुमार बैरवा से जमीन का हक त्याग पत्र का पंजीयन करवाने की एवज आरोपी मुकेश कुमार मीना वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बामनवास के लिये दलाल मेघराज उर्फ मेघी माली के माध्यम से 5000 हजार की मांग

Vinay Soni

की। दौराने रिश्वती मांग सत्यापन परिवादी से मोबाईल पर 5,000/–रू. रिश्वत की मांग करने की ऑडियो रिकार्डिंग है। उक्त ऑडियो के आवाज के मिलान के लिए आरोपी मेघराज उर्फ मेघी की आवाज का नमूना प्राप्त करनी है, जिस पर आरोपी को आवाज का नमूना स्वतन्त्र गवाहान के सामने देने के लिए कहा गया तो आरोपी ने अपनी आवाज का नमूना देने से साफ इन्कार कर दिया। फर्द असहमति नमूना आवाज हस्ब कायदा मुर्तिब की जाकर हाजरीन को पढकर सुनाई सुन समझ सही मान अपने–अपने हस्ताक्षर अंकित किये। इसके पश्चात समय 10.30 पी.एम.पर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता परिवादी श्री मुनेश कुमार बैरवा एवं स्वतंत्र गवाहान भीमसिंह मीना व रमेश कुमार मीना के समक्ष रिश्वत लेन–देन वार्ता दिनांक 03.01.2023 को परिवादी मुनेश कुमार बैरवा व आरोपी मुकेश कुमार मीना के मध्य हुई रिकार्ड वार्ता जो वाईस रिकार्डर में रिकार्ड है, को लेपटॉप से अटैच कर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की है, को टेबल स्पीकर के माध्यम से परिवादी मुनेश कुमार एवं उक्त गवाहान के समक्ष सुन–सुन कर आवाज की पहचान करवाकर श्री रमेश कुमार कानि से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट टाईप तैयार करवाकर उक्त वार्ता को एक पेन ड्राईव Sandisk न्यायालय हेतु व तीन डीवीडीयां क्रमश– मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "B" अंकित कर डीवीडियों पर सम्बन्धित के हस्तक्षर करवाकर उक्त पेन ड्राईव Sandisk व डीवीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आईओ प्रति डीवीडी को शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात दिनांक 04.01.2023 समय 02.00 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 43 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। चूंकि रात्रि का समय है परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय में ही रूकने की हिदायत दी गई।

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्त मुकेश कुमार मीना वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बामनवास, जिला सवाई माधोपुर द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी मुनेश कुमार बैरवा पुत्र रामविलाश उर्फ गिलाश बैरवा निवासी बामनवास पटटी कला जिला सवाई माधोपुर से जमीन का हक त्याग करवाने हेतु तहसील कार्यालय बामनवास में आवेदन करने पर आरोपी मुकेश कुमार मीना वरिष्ठ सहायक द्वारा उक्त कार्य को करने हेतु प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) मेघराज उर्फ मेघी माली के माध्यम से 5000 हजार रूपये की मांग की तथा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 30.12.22 को आरोपी मुकेश कुमार मीना ने परिवादी से 5,000/– रूपये रिश्वती राशि की मांग की एवं दौराने रिश्वति मांग सत्यापन 4,500/– रूपये रिश्वत राशि की मांग पर सहमत होना तथा वक्त रिश्वत मांग सत्यापन आरोपी मुकेश कुमार मीना द्वारा 2,000/–प्राप्त करना तथा शेष रिश्वति राशि 2,500/– रूपये दिनांक 02.01.2023 को लेने पर सहमत होना तथा दिनांक 03.01.2023 को 2,500/–रू. रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए आरोपी मुकेश कुमार मीना व प्राईवेट व्यक्ति मेघराज उर्फ मेघी को रंगे हाथो पकडे जाने का उक्त कृत्य आरोपीगण मुकेश कुमार मीना पुत्र मोहनचन्द मीना जाति मीना, उम्र 45 वर्ष, निवासी ताजपुरा पुलिस थाना बामनवास, जिला सवाई माधोपुर हाल वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बामनवास, जिला सवाई माधोपुर एवं मेघराज उर्फ मेघी पुत्र रामलाल माली, उम्र 34 वर्ष, निवासी तहसील बामनवास के पास जिला सवाई माधोपुर का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा0द0स0 में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की जाएगी।

Vivek Soni

(विवेक सोनी)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
सवाई माधोपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विवेक सोनी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपी 1. श्री मुकेश कुमार मीना पुत्र श्री मोहनचन्द, वरिष्ठ सहायक, तहसील कार्यालय बामनवास, जिला सवाई माधोपुर एवं 2. श्री मेघराज उर्फ मेघी पुत्र श्री रामलाल, निवासी तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 01/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

4.1.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 07-10 दिनांक 4.1.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर।

4.1.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।